

प्रारूप -दो
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 कंडिका 6 देखिये

राजस्व ग्राम का नाम		राजस्व निरीक्षक वृत	
तहसील का नाम		जिला के नाम	

1	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम तथा पूर्ण पता	
2	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति कृषक है अथवा गैर कृषक ? यदि कृषक है तो उसकी भूमि का सम्पूर्ण व्यौरा	
3	हानि का पूर्ण पूर्ण व्यौरा -	
1	फसल हानि	
2	पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि	
3	मकान की क्षति (क्षतिग्रस्त मकान का पूर्ण विवरण ,आकर , प्रयोजन एवं क्षति के विवरण)	
4	कपड़ा/वर्तन/खाद्यान की हानि	
5	जनहानि (मृतक से आवेदक का सम्बन्ध)	
6	शारीरिक अंग हानि अन्य हानि (जिसके लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में सहायता देय है)	
4	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति निराश्रित है और क्या उसका कोई ऐसा सम्बन्धी या मित्र नहीं है जो उसकी सहायता कर सके ?	
5	पूर्ण औचल्य बतलाते हुए वित्तीय सहायता जो तत्काल दी जानी चाहिए उसका व्यौरा विवरण	
6	क्या स्थानीय दान के जरिये सहायता व्यवस्था संभव नहीं है ?	
7	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति ऋण चाहता है और क्या वह कोई शोधक्षम प्रतिभूति देने के लिए तैयार है ?	
8	कितना ऋण मांग है? ऋण दिए जाने का पूर्ण औचल्य बताया जाना चाहिए ?	
9	अन्य विवरण - प्रभावित व्यक्ति का बैंक खाता क्रमांक मय बैंक एवं शाखा के नाम तथा आईएफएससी कोड सहित (यदि हो तो)	

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर/अगूठा

दिनांक :

नाम :

पता :